उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या 185 /2019/2705/92-2-19-58जांच/2018

लखनऊ:: दिनांक:: 27 नवम्बर,2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-बुलंदशहर में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में अपने योगदान की तिथि 16-12-2016 से लगभग 11 माह पश्चात दि0 27-10-2017 को 04 अनुबंधों के संबंध में तत्का0 अधिशासी अभियंता, श्री जव्वार हुसैन को पत्र लिखने एवं इस अवधि में बिना धनांवटन एवं अनुबंध के कार्य कराने हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-01/2019/33/92-2-19-58जांच/18 दि0 04-01-2019 द्वारा श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति प्रखण्ड-हाथरस के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अलीगढ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0,परि0-अलीगढ के पत्र सं0-700/ग्रा0अ0वि0/वै0सहा0/पत्रा0-23/2019-20 दिनांक 02-09-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित 02 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित नही पाया गया।

2- अत: अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित 02 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित न पाये जाने, प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित समस्त 40 अनुबंधों पर कार्य का अन्तिमीकरण/भुगतान कर दिये जाने एवं प्रकरण में किसी प्रकार की शासकीय क्षति कारित नही पाये जाने दृष्टिगत अपचारी अधिकारी, श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति प्रखण्ड-हाथरस के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-01/19 /33/92-2-19-58जांच/2018 दि0 04-01-2019 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-185/2019/2705/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति प्रखण्ड-हाथरस द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।